

**परियोजना का नाम:-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम  
तहसील का नाम कपकोट, जिला बागेश्वर

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.450 हे0 सिविल भूमि वन पंचायत भूमि 2.925 हे0) अर्थात् कुल 3.375 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~चलकाना (लखमरा)~~ द्वारा दिनांक 10/01/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... ~~चलकाना (लखमरा)~~ के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि ~~लो०नि०वि०कपकोट~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

H0/-

ग्राम सचिव

H0/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चलकाना

वि०ख०-कपकोट जिला-बागेश्वर

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मीटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 18/01/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत बलकाना (कारखमरा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1)	श्री-रतन सिंह भट्ट	रतन सिंह
2)	" अमर सिंह गडिया	अमर सिंह
3)	" शेर सिंह कुवड़	शेर सिंह
4)	" इश्वर सिंह भट्ट	इश्वर सिंह
5)	" सुलतान सिंह गडिया	सुलतान सिंह
6)	" कुन्दन सिंह गडिया	कुन्दन सिंह
7)	" बाबू सिंह	बाबू सिंह
8)	" खेम सिंह	खेम सिंह
	" करन सिंह	करन सिंह
	" ज्ञान-दास सिंह	ज्ञान-दास सिंह
	" गणपाल सिंह	गणपाल सिंह
	" भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
	" जमन सिंह	जमन सिंह
	" नारायण सिंह	नारायण सिंह
	श्रीमती- विमला देवी	विमला देवी
	" देवकी देवी	देवकी देवी
	" पानुली देवी	पानुली देवी
	" प्रमला देवी	प्रमला देवी
	" (कुलदा देवी)	कुलदा देवी
	" जेगा देवी	जेगा देवी
	" नन्दी देवी	नन्दी देवी
	श्री जमन सिंह	जमन सिंह

H0/-

ग्राम प्रधान

रतन सिंह

ग्राम पंचायत बलकाना  
बलखो-कपकोट जिला-बागेश्वर  
(उत्तराखण्ड)



**परियोजना का नाम:-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० परियोजना के निर्माण में (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.450 है०, वन पंचायत भूमि 2.925 है०, अर्थात् कुल 3.375 है० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील कपकोट ) की दिनांक 18/04/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील कपकोट ) की दिनांक 18-04-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के०एस० टोलिका उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |                        |                            |         |                    |
|------------------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1- श्री के०एस० टोलिका  | उपजिलाधिकारी               | अध्यक्ष | वन विभागीय अधिकारी |
| 2- श्री एच०एम० (कपकोट) | उप प्रशासिक वन अधिकारी     | सदस्य   | सचिव               |
| 3- श्री कालूराम कमा    | सहयोगी समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   | सचिव               |
| 4- श्री तारा सिंह      | बी०डी०सी० क्षेत्र          | सदस्य   | सचिव               |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत से लखमरा 5.00 किमी० परियोजना हेतु 3.375 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

परिचय के अन्तर्गत  
 गैरखेत से हावमरा/हड्डा के क्षेत्र में  
 परिचय के निम्नान्त 3:375 है  
 हे० वन भूमि ले० नि० वि० का  
 प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक सचिव/वन अधिकारी  
 जिला वन अधिकारी  
 जयपुर-वागेश्वर

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-वागेश्वर  
 जनपद-वागेश्वर

प्रातेलिपि : जिलाधिकारी, वागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव/वन अधिकारी  
 जिला वन अधिकारी  
 जयपुर-वागेश्वर

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-वागेश्वर  
 जनपद-वागेश्वर



प्रपत्र- 23.3

**परियोजना का नाम:-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र**

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग मार्ग के निर्माण हेतु **3.375 हे०** वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर

**परियोजना का नाम:-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

5/19/16  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर



Office of the Deputy Commissioner  
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 19/4/16....at time 2:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Garkhet-Lakmara** area measuring **3.375** hect for the **Construction of Garkhet-Lakmara Motor Road (Length 5.00) in Distt- Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 19/4/16

52194/16  
जिलाधिकारी  
Deputy Commissioner Chairman  
District Level Committee



Form-1  
(for liner project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwar

Dated 19/04/16

NO.....

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3,375 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Garkhet-Lakmara Motor Road (Length 5.00) in Bageshwar district** falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3,375 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 19/4/16

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
बागेश्वर



**Form-II**  
(for liner project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwar

Dated...19/04/16

NO.....

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.375 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Garkhet-Lakmara Motor Road (Length 5.00) in Bageshwar.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.375 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of ~~Garkhet~~ <sup>Lakmara</sup> Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive groups and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

19/4/16  
**Bhupal Singh Manral**  
District Collector  
Bageshwar



### वन पंचायत ~~चलकाना~~ की बैठक कार्यवाही

दिनांक 25/01/16 को वन पंचायत ~~चलकाना~~ <sup>लखमरा</sup> की बैठक हुई जिसमें जनपद

बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :- 25/01/16

स्थान:- ~~चलकाना~~ (लखमरा)

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

नीमा झापा	नीमा झापा
झमरा सिंह	झमरा सिंह
देशनाथ सिंह	देशनाथ सिंह
जमना सिंह	जमना सिंह
प्रेमा देवी	प्रेमा देवी

ह०  
सरपंच  
वन पंचायत  
चलकाना (लखमरा)  
जनपद - बागेश्वर

सरपंच  
वन पंचायत  
चलकाना (लखमरा)  
जनपद - बागेश्वर



### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

*mel*  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
कपकोट

*52* 19/4/16  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर

## स्वामित्व/अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत से लखमरा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के किमी० Km-1 (4-6 H.m.) Km-2 (0-2 H.m.) Km-3 (2-4 H.m.) Km-4 (0-3 H.m.)  
Km-5 (4-6 H.m.) में राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सड़क के किनारे खड्ड साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक :- 31/05/16

राजस्व उपनिरीक्षक  
जयपुर  
क्षेत्र  
कपकोट

तहसीलदार